3.7.25 पत्रावली आज पेशी में ली गई। बहस उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत विवादित- आराजी अप्रार्थी नं. 1 के पिता के नाम व हम प्रार्थीगण के दादा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो पिता से प्राप्त पैतृक भूमि है जिसमे अप्रार्थी नं. 1 का 1/8 हिस्सा है तथा उक्त 1/8 हिस्सा में से प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है, अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 1 द्वारा उक्त कथन पर एतराज व्यक्त कर प्रश्नगत भूमि को स्व-अर्जित होने का कथन किया है।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली मौजूद संशोधित शीर्षक अनुसार अप्रार्थी नं. 2 फौत हो चुके है तथा संपूर्ण विवादित आराजी अप्रार्थी नं. 2 जंगीर सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण के हक व हिस्सों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। मृतक खातेदार के खिलाफ स्थगन जारी होने से उनके वारिसान के पक्ष में विरासतन नामान्तकरण दर्ज करवाने में बाधा हो सकती है इसलिए स्थगन आदेश दिनांक 20/9/2015 संशोधित कर विरासतन नामान्तरण की हद तक अप्रभावी किया जाता है तथा विरासत बाद अप्रार्थी नं. 1 जगतार सिंह के हिस्से को बेचान, अन्तरण से निषिद्ध किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम कर Drop की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:46:58 IST
Reason: SelfAttested